न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 02/2024 (आ.नि.)
GCMS NO : 2024/23

अनवान

1. श्री सवजी भाई पिता रूपा जी बोडात निवासी गांव रेठडा, तहसीलदार नयागांव जिला उदयपुर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री केशवलाल पिता पन्ना भील निवासी गांव रेठडा तह. नयागांव
2. श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री केशवलाल भील निवासी गांव रेठडा तहसील नयागांव उदयपुर।
3. भू स्वामी तहसीलदार, तहसील नया गांव जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मन्नाराम डांगी अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त् कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 28.06.2023 अन्तर्गत प्रकरण सं. 297/23

* निर्णय *

दिनांक – 23.10.2024

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 28.06.2023 को ग्राम रेठडा पटवार हल्का पाटिया, तहसील नयागांव के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.5100 है. खसरा नम्बर 150 रकबा 0.0700 है. खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2000है. खसरा नम्बर 155 रकबा 0.3700है. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1500 है. किता 5 रकबा 1.3000 है. भूमि आवन्टन सलाहकार समिति कैम्प पाटिया की स्वीकृति से उपखण्ड अधिकारी नयागावं के आदेश से विपक्षीगण को उक्त भूमि आवन्टन का आदेश दिनांक 28.06.2023 को जारी किया गया है। आदेश की पालना में दिनांक 02.07.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा कब्जा सिपूर्दगी भी बताया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 263 गांव रेठडा दिनांक 13.09.2023 से जमाबन्दी खाता संख्या 175 ग्राम रेठडा, पटवार हल्का पाटीया तहसील नयागांव में विपक्षी के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त वर्णित आवंटन आदेश से प्रार्थी पीडित व प्रभावित है जो निम्न आधारो पर उक्त आराजी में से आराजी नम्बर 155 रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

0.3700 है. एवं आराजी नम्बर 234 रकबा 0.1500 है. भूमि का आवन्टन नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3700 है. तथा आ.न. 234 रकबा 0.1500 है गांव रेठडा पटवार हल्का पाटिया तहसील नयागांव की भूमि पर प्रार्थी का तीन पीढियों से बापदादाओं के समय से विगत लगभग 50–60 वर्षो से पुराना निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ये दोनों आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि से पटमा मिली हुई है, प्रार्थी के संयुक्त परिवार में भाईयों के बीच परिवार की खातेदारी व कब्जे की भूमि के आपसी बटवाडे से प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में उक्त आराजी विगत लगभग 15 वर्षो से अधिक समय से चली आ रही है। वर्तमान में इन दोनो आराजी पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है, अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा विपक्षीगण 1 व 2 का ही कभी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है और नहीं है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के संयुक्त परिवार का पुश्तैनी कब्जा विगत 50–60 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। इस भूमि पर एक कुंआ भी प्रार्थी के दादा व पिता द्वारा खोदा हुआ है जो करीब 35–40 फिट गहरा है। इस कुंए की पत्थरों से बंधाई की हुई है इस भूमि पर बरसात की ऋतु में उडद, कोदरा, छोटी मक्की की फसल बोते थे तथा घास भी लेते रहे है। इस भूमि पर प्रार्थी व संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों की सामूहिक सुरक्षा से 100 से अधिक सागवान के पेड हैं, करीब 300 खाखरे के पेड हैं, 100 से अधिक बबूल के पेड हैं एवं झाडियां है इन सबका उपयोग व उपभोग प्रार्थी एवं संयुक्त परिवार के सदस्य निरन्तर करते चले आ रहे हैं। आराजी नम्बर 155 पर प्रार्थी का भतीजा राजेश पिता बंशीलाल के विरुद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत सन् 2012 में कार्यवाही की गई जिसकी मिसल नम्बर 127/12 (नाजायज कब्जा) नायब तहसीलदार खेरवाडा द्वारा की गई तथा सन् 2018 में नाजायज कब्जे की कार्यवाही मिसल नम्बर 462/2018 नाजायज कब्जा नोटिस धारा 91 रा.भू.अ. 1956 एवं सन् 2019 में नाजायज कब्जा की कार्यवाही मिसल नम्बर 233/19 नाजायज कब्जा नोटिस धारा 91 रा.भू.अ. 1952 उप तहसीलदार साहब नया गावं द्वारा की गई प्रार्थी के भतीजे राजेश द्वारा उक्त आराजी की नाजायज कब्जे की पेनल्टी दिनांक 23.01.2019 को 507/– पांच सौ सात रूपये जमा करायी गई तथा दिनांक 07.02.2020 को 550/– पांच सौ पचास रूपये की पेनल्टी जमा करायी गई तथा दिनांक 10.03.2021 को 330/– तीन सौ तीस रूपये फसल नीलामी के जमा कराये गये। उक्त सारी कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज धारा 91 नोटिसेज एवं पेनाल्टी रसीदें सबूत में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा आज तक प्रार्थी व उसके परिवार जनों का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं है न ही कभी रहा है। आराजी नम्बर 234 रकबा 0.1500 है. भूमि पर प्रार्थी के संयुक्त परिवार का कब्जा विगत 50–60 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। यह भूमि प्रारम्भ में नालीनुमा थी, जो भूमि काबिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

काश्त होने से इस पर मेडबन्दी करके प्रार्थी के पिता व परिवारजन ने कई वर्षो तक लगातार परिश्रम व लागत लगाकर काश्त काबिल खेत बनाया है। यह आराजी प्रार्थी की संयुक्त परिवार की खातेदारी भूमि से सटमा मिली हुई है। इस भूमि पर विगत कई वर्षो से दो फसले पैदा करते हैं। खरीफ की बरसाती फसल में चावल बोते रहे हैं तथा रबी की फसल की सिंचाई प्रार्थी के पडौस की अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 233 के कुंए से होती है, यह आराजी सरकारी रेकार्ड में बिलानाम होने से नाजायज कब्जे की कार्यवाही प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम से अलग अलग होती रही है। उसका विवरण इस प्रकार है, संवत 2050 में प्रार्थी के बडे भाई बंशीलाल पिता रूपा ने पेनाल्टी का रूपया दिनांक 19.09.1994 में जमा कराये उसके बाद सन् 2001 में इस आराजी के बारे में नाजायज कब्जे की कार्यवाही मिसल नम्बर 466/2001 प्रार्थी के बडे भाई कालू पिता रूपा के विरूद्ध की गई नाजायज कब्जे की कार्यवाही नोटिस धारा 91 रा.भू.अ. के तहत तहसीलदार खेरवाडा द्वारा की गई। संवत 2051 में कालू पिता रूपा प्रार्थी के भाई द्वारा दिनांक 22.09.1994 को एक रूपया नाजायज कब्जे की पेनाल्टी के जमा कराई तथा सन् 2012 में इस आराजीयात पर नाजायज कब्जे के बारे में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही नायब तहसीलदार खेरवाडा द्वारा मिसल नम्बर 128/2012 धारा 91 भू.राज.अ. का नोटिस दिया गया। इस प्रकार आराजी नम्बर 234 रकबा 0.1500 है. भूमि पर प्रार्थी एवं परिवारजनों की संयुक्त कब्जे की पुश्तैनी भूमि निरन्तर होने के पुख्ता प्रमाण है तथा इस वर्ष भी गेंहू की फसल प्रार्थी द्वारा बोई है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कभी रहा है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 155, 234 के कब्जे के बारे में हल्का पटवारी पाटिया एवं आर.आई द्वारा आवंटन कमेटी को गलत व झूठी रिपोर्ट मौके की जांच किये बिना दिनांक 27.06.2023 को तैयार की गई, पेश की गई है, जिस रिपोर्ट की कलम संख्या 9 में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.06.2023 को लिखा है "प्रार्थी ने जिस भूमि की मांग की है उस पर किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण/कब्जा तो नहीं है? जिस पर पटवारी ने नहीं लिखा गया है जो गलत व झूठा कथन है। मौके की जांच किये बिना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखा गया है, जबकि दोनों आराजी पर इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी का पुश्तैनी विगत 50–60 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त आज तक है, जिसकी जांच हल्का पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा किये बिना आवन्टन कमेटी को गलत व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.2023 मिसल नम्बर 297 कैम्प पाटिया का निर्णय आवंटन किया है। जो प्रार्थी के प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध आवंटन हुआ है जिसे प्रार्थी कानूनन निरस्त कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का कब्जा होने से इस भूमि को प्रार्थी अपने नाम कानूनन आवंटन कराने का प्रथम दृष्टया अधिकारी प्राथमिकता से बनता है जो कारणवश वंचित हुआ है, प्रार्थी को कैम्प की जानकारी नहीं थी। झूठी रिपोर्ट करवाकर आवंटन करवा लिया है। जो कानूनन निरस्त किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थी सद्भावी भूमिहीन किसान है जो वर्णित भूमि दोनो आराजी अपने नाम आवंटन कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के आवन्टन आदेश की पालना में आवन्टित भूमि का कब्जा सिपूर्दगी रिपोर्ट दिनांक 02.07.2023 आर.आई. पाटिया एवं हल्का पटवारी पाटिया द्वारा तहसीलदार नयागांव को पेश की गई , कोई जांच नहीं की, खानापूर्ति की गई है। मौका पर्चा पर केवल विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर है किसी स्वतन्त्र मौतबीर के कोई हस्ताक्षर नहीं है। विपक्षी का ही कब्जा चला आ रहा है। आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखकर अपने नाम आवन्टन कराई गई है जो प्रार्थी के विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के विरूद्व होने तथा झूठ बोलकर धोखे से आवंटन कराई गई है जो कानूनन काबिल निरस्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण 1 व 2 के विरूद्ध स्वीकार किया जावे। आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2023 मिसल नम्बर 297 केम्प पाटिया में विपक्षीगण 1 व 2 को आवन्टित आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3700 है. तथा आराजी नम्बर 234 रकबा 0.1500 है. भूमि गांव रेठडा, पटवार हल्का पाटीया तहसील नयागांव का आवंटन निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी के आवेदन प्रस्तुत करने पर दोनो आराजी प्रार्थी को आवन्टन अथवा नियमन के निर्देश उपखण्ड अधिकारी नयागांव को जारी किये जावे। अन्य कोई अनुतोष न्याहित में जो उचित हो वह प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली को तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि आवंटन 28.06.2023 को हुआ है। आराजी नम्बर 92, 150, 151, 155, 234 पर कुल 1.30 है. भूमि का आवंटन हुआ हैं। केवल आराजी नम्बर 155 एवं 234 पर आपत्ति है। शेष आराजी पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कब्जा होकर हम गेंहू की फसल बौते है। पटवारी व आर. आई की गलत रिपोर्ट पर आवंटन हुआ है। गैर खातेदारी का आवंटन किया गया है। आंवटन निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- Bhambal & ors. vs Board of Revenue & ors. RRD Mar, 2006 page 140

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 155 व 234 पर पिछले 50–60 वर्षो से उसके पिता एवं परिवार का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा कब्जे को साबित करने हेतु तहसीलदार खेरवाडा के ना.कब्जा के नोटिस की प्रति पेश की जिसमें आराजी नम्बर 234 व 155 पर प्रार्थी एवं कालु पिता रूपा, राजेश पिता बंशीलाल का कब्जा होना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा गांव के स्वतन्त्र गवाह के रूप में श्री अडेला पिता भूरा जाति बोडोत उम्र 70 वर्ष का शपथ पत्र पेश किया जिसने भी उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं इनके परिवार का कब्जा होना बताया है। विपक्षी को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 मंहगाई राहत कैम्प में मिसल संख्या 297 आंवटन दिनांक 28.06.2023 से गैर खातेदारी के रूप में आराजी नम्बर 92,150,151,155,234 का आवंटन हुआ है। चूंकि प्रार्थी द्वारा केवल आराजी नम्बर 155 एवं 234 पर ही अपना कब्जा होना बताकर गलत रिपोर्ट के आधार पर आंवटन कराने का तर्क दिया है जो कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नाजायज कब्जा के नोटिस से स्पष्ट है। उक्त नोटिस के अवलोकन से साबित होता है कि उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा नहीं था। विपक्षीगण बावजूद सूचना न्यायालय में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु उपस्थित नहीं हुए है इससे भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रेठडा पटवार हल्का पाटिया तह. नयागांव की आराजी संख्या 155, 234 में मिसल नम्बर 297 दिनांक 28.06.2023 से उपखण्ड अधिकारी नयागांव द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार नयागावं को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
उदयपुर